

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी अरांई

मुकाम अरांई (अजमेर)

• कैलाश पुत्र श्रवण जाति रेगर उम्र 58 साल निवासी ग्राम ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर राज। -वादी

बनाम

• उमराव पुत्र काना जाति रेगर निवासी ग्राम ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान व अन्य -प्रतिवादीगण।

किस्म मुकदमा- धारा 53,188 राज0 का0 अधि0 1955

नंबर 76 / 2023

ऑनलाइन नंबर 2023 / 1.7.6.

वकील वादी:- योगेश शर्मा

वकील प्रतिवादीगण.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
22/02/23	<p>यह वादपत्र वादीगण की ओर से वकील वादी श्री योगेश शर्मा सिंह ने अन्तर्गत धारा 53,188 राज.का. अधि. 1955 के तहत पेश किया गया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादीगणों की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 02/2/24 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी अरांई</p>	
02/02/24	<p>पत्रावली पेश हुई / वकील पक्षकारान् उप. / दिनांक 02/02/24 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी अरांई</p>	
09/02/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व प्रतिवादी उपस्थित। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 06/02/24 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी अरांई</p>	
06/03/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/वीरे/अवकाश पर गभारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12/03/24 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी अरांई</p>	

14/11/25 पत्रावली के डई वकील प्रकरण उप
 पत्रावली का अंश उपलब्ध है इतिहास
 21/12/26 को चलेंगे
 W/P

मालय उपखण्ड अधिकारी
 दावा अन्तर्गत

21/11/25 पत्रावली पेश हुई वकील प्रकरण उप

 पत्रावली दिनांक 23/11/25 को पेश हो

रिपॉर्टिंग

अन्तर्गत धारा अन्तर्गत
 के द्वारा पेश कि

उपखण्ड अधिकारी
 अरांई

विवरण
वाद पत्र न्यायालय के अंतर्गत है ?
II वाद पत्र के साथ पत्र ?
क्या उचित संख्या में वाद पत्र प्रति मय व ?
क्या वाद के प्रस्तावकर्ता/अंतर्गत क्या वाद पत्र करते हैं ?
क्या वाद पत्रकर्ता
7. क्या विलि कि
8. आपकी प्रार्थना क्या हुआ
9.

23/11/26. पत्रावली के डई वकील प्रकरण संख्या 34 व
 46, 53 की कोर्ट के आदेश 09 R 07 व 09 R 13 CPC व
 151 CPC के अंतर्गत किया जा रहा है शामिल पत्रावली
 किया जा रहा है। एडवोकेट जनरल के पत्रावली
 दिनांक 6/12/26 से वाद पत्रावली है।
 W/P

6/12/26 पत्रावली पेश हुई आज
 की ओर से कार्य स्थगित रखा गया।
 पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 11/12/26 को
 पेश हो।
 W/P

उपखण्ड अधिकारी
 अरांई (अजमेर)

13/12/26 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रकरण उपस्थित। वकील अधीनस्थ
 को अधीनस्थ अंतर्गत आदेश 09 R 07 व 09 R 13 CPC व
 151 CPC के अंतर्गत सुना गया। तथा उपस्थित अधीनस्थ
 के अंतर्गत अंतिम हुनी जाकर पत्रावली का अंतर्गत किया
 जाकर अधीनस्थ का अधीनस्थ पत्र आदिज किया जाकर
 प्रथम के आदेश लिखा जाकर शामिल पत्रावली एवं
 अंतर्गत अंतिम के अधीनस्थ का अंतर्गत पत्रावली एडवोकेट
 किया जाकर प्रथम के आदेश लिखा जाकर
 शामिल पत्रावली किया जाकर पत्रावली के अंतर्गत अंतिम
 नंबर के कम हो।
 W/P

उपखण्ड अधिकारी
 अरांई (अजमेर)